झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक-06/10/2023

संख्या-5/आरोप-1-44/2019-24459 (HRMS)/ श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, कोटि क्रमांक-508/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2292 दिनांक-16.10.2019 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- प्रखण्ड कार्यालय, प्रतापपुर के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता ने श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम एवं असमायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लक्षित समूह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। श्री गुप्ता के कृत्य से सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ। श्री गुप्ता का यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(3) के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1501, दिनांक 26.02.2020 द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री गुप्ता के पत्रांक-190/रा0, दिनांक 20.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2639, दिनांक 02.06.2020 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग गई। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-64, दिनांक 24.02.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री गुप्ता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-20952(HRMS), दिनांक 11.05.2023 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-212, दिनांक 28.08.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री गुप्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया।

श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोप पत्र में श्री गुप्ता के विरूद्ध श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम एवं असमायोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। उक्त आरोप पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव बयान में प्रतिवेदित है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के प्रभार में ये दिनांक 04.05.2017 से 25.05.2017 तक 21 दिनों की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार में थे तथा इस अवधि में श्री आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सेवक, प्रतापपुर के संबंध में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम राशि के बारे में प्रखण्ड कार्यालय के स्तर से अथवा किसी अन्य माध्यम से उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गयी।

आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान को उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार योग्य बताते हुए अपना मंतव्य दिया है कि श्री गुप्ता का कार्यकाल केवल 21 दिनों का था। संभव है कि उक्त अवधि में विषयगत मामले इनके संज्ञान में नहीं आया हो, अतः श्री गुप्ता को दोषी नहीं माना जा सकता है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री गुप्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DINESH PRASAD GUPTA JHK/JAS/190	श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, कोटि क्रमांक-508/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा को आरोप मुक्त किया जाता है।

..

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रंजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

ज्ञापांक-5/आरोप-1-44/2019-24459 (HRMS)/राँची — दिनांक-06/10/2023

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-44/2019-24459 (HRMS)/राँची — दिनांक-06/10/2023

प्रतिलिपि-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, चतरा/उपायुक्त, लोहरदगा/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-5/श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, झा0प्र0से0, अंचल अधिकारी, भंडरा, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Prepared By:- PRADEEP KISHOR LAKRA - (110070953779)